भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 76

उत्तर देने की तारीख 29.01.2026

असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

⨁76. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग के संबंध में पिछले पाँच वर्षों में कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या नृवंश-संबंधी अध्ययनों की जाँच की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले पर समुदायों को बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद अंतिम निर्णय लेने में लगातार विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): ताई अहोम, चुटिया, मटक, मोरन, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव असम राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और विधिवत रुप से न्यायोचित माना गया हो। इसके बाद प्रस्तावों पर विचार करने और कानून में संशोधन करने के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के द्वारा सहमति देना आवश्यक है। समस्त कार्रवाई अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इन प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं होता है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में संसूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।
